वित्तीय स्वीकृति

संख्या-11/भा0स0-3/52-3-14-बजट(16)/13टी0सी0

प्रेषक

जय प्रकाश पाण्डेय

उप सचिव

उ0प्र0 □□□□

सेवा में

□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण

□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 07जनवरी, 2014

विषयः-केन्द्र पुरोनिधानित मदरसा/मकतब शिक्षा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा समायोजित की गयी धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

□□□□

उपर्युक्त विषयक मा0□0वि0 मंत्रालय, □□□ □□□□, □□ दिल्ली के पत्र संर -□□-8-38-/2013-□□-19 दिनांक 23/12/2013 तथा संख्र -□□-8-38/2013-□□-19 दिनांक 9/01/2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त पत्र दिनांक 23/12/2013 □□ □□□□ □□□ □□□□ द्वारा 2108 मदरसों की लाट के सापेक्ष 2039 मदरसों में कार्यरत शिक्षकों के वर्ष 2013-14 □□□□□□ □□□□□□ □□□ये प्रथम किश्त के रूप : 25 प्रतिशत धनराशि अर्थात रू0

http://shasanadesh.up.nic.in

8,33,58,000/- स्वीकृत करते हुये इसमें से पूर्व वर्ष की बचत रू0 2,49,19,000/-की धनराशि समायोजित करने के उपरान्त रू0 5,84,39,000/-की धनराशि तथा द्वितीय किश्त के रूप में 25 प्रतिशत धनराशि अर्थात रू0 8,33,58,000/- की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इस प्रकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उपरोक्त शासनादेशों द्वारा कुल 0 14,17,97,000/- (रू0 चैदह करोड़ सत्तरह लाख सत्तान्नवे हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में उक्त योजनान्तर्गत रू0 02,00,00,00,000/- (रूपये दो अरब मात्र) □□ □□-व्ययक प्राविधान है। इसके जिसके सापेक्ष अभी 0 85,75,72,000/-स्वीकृत की गयी है। इस प्रकार योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में रू0 1,14,24,28,000/- की धनराशि अवशेष है। उक्त अव□□ □□□□□ के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा शासनादेश दिनांक 23/12/2013 □□ 9/01/2014 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 14,17,97,000/- (रू0 चैदह करोड़ सत्तरह लाख सत्तान्नवे हजार मात्र) 2039 शिक्षकों के वर्ष 2013-14 □□ □□□□ □□ □□□□ हेतु निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं-

(1) राज्य सरकार द्वारा अनुदानित या वेतन/□□नदेय दिये जाने वाले मदरसा शिक्षकों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर दिनांक 31-3-2014 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायए ताकि भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से □□□□/□तन मद में दोहरा भुगतान न होने पाये । पारदर्शिता बनी रहे।

(2)उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं समर -□□□ □□ भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत सुसंगत शासनादेशों के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये किया जायेगा।

(3)उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि मदरसों के अस्तित्व के संबंध में पूरी तरह से आश्वस्त होने एवं आधुनिक विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य अध्ययन) के शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों के अध्यापन की पुष्टि होने के पश्चात ही धनराशि भुगतान की जायेगी। यह भी पुनः देख लिया जायेगा कि लाभान्वित मदरसा भारत सरकार द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तगत निर्गत गाइड लाइन की समस्त शर्तो/प्रतिबन्धों को पूर्ण करता है। यदि किसी मदरसें में अनियमित भुगतान किया □□□ □□ □ □□□ □□□ □□□ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप

से पूर्णतयः उत्तरदायी होंगे तथा अनियमित रूप से भुगतान की गयी धनराशि की वसूली नियमानुसार उनसे सुनिश्चित की जायेगी।

(4) निदेशक एवं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे स्वीकृत धनराशि का दिशा-निर्देशो के अनुसार सदुपयोग सुनिश्चित करेगें। किसी भी दशा में अस्तित्वहीन मदरसे तथा अस्तित्वहीन शिक्षक को धनराशि वितरित □ □□, वितरण तभी सुनिश्चित किया जायेगा जो वास्तव में उपस्थित रह कर मदरसों में शिक्षण कार्य सुनिश्चित कराया गया हों। वितरण पारदर्शी तरीके से होगा तथा व्यय का पूर्ण लेखा-जोखा व अभिलेख सुरक्षित रखने का दायित्व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत योजना की धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र अविलम्ब शासन को पे्रषित किया जायेगाए जं धनराशि व्यय नही हो सकती उसकी जानकारी विवरण सहित शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष केवल योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के मानदेय का ही भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में यह धनराशि किसी अन्य प्रयोजनार्थ व्यय नहीं की जायेगी।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 28-2-2014 तक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 □□ □□-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें- 0101-अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अरबी फारसी मदरसों व आधुनिकीकरण (□□0100/□□0-□□0(-20-□□□□□□ □□□□□-सामान्य (□□ □□□) □□□□□□□□□ □□□□□

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय 0-□-11-244/□□/2014 दिनांक 07 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय

(जय प्रकाश पाण्डेय)

□□ □□□□

संख्या-भा0स0 3/52-3-14 तददिनांक ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- संयुक्त निदेशक(□□0□□0) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) □□□□ □□□□□ शास्त्री भवन नयी दिल्ली।

2- □□□□□□□□ (लेखा परीक्ष) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 □□□□□□□□

3- □□□□□□□□ (लेखा एवं हकदार) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 □□□□□□□□

http://sasanadesh.up.nic.in

4- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय □□□□□□□□ (□□□-प्रथम) सत्यनिष्ठा भवन थार्न हिल □ □□□□□□□

5- कोषाधिकारी ज□□□□ □□□ □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय उ0प्र0 □□□□□

6- □□□□, माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा विभाग उ0प्र0 □□□□□

7- निदेशक उर्दू/प्राच्य भाषायें/बेसिक शिक्षा विभाग, □0प्र0 □□□□□

8- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, □0प्र0 □□□□□

9- रजिस्ट्रार □0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद 704 □□□□□ □□□ □□□□□

10- □□□□ □□□□ □□0 राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ □0प्र0□

11- वित्त (ई-11) □□□□□/वित्त (अ□-व्ययक) □□□□-1(02 प्रतियों में)/नि□□□□ □□□□-3 □□□□□ □□□□/गार्ड □□□□

आज्ञा से

(जय पाण्डेय)

□□ □□□

http://shasanadesh.up.nic.in